


अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचौची(धनबाद)

अभिलेख सं० 35 (ख)...../2016-17

सद का प्रकाश - बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

क्र.सं.	पदाधिकारी आदेश	कृत का
	<p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुब मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन- सह - विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या- 3 - खा०म०निति - 119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागगीयु परिपत्र संख्या - 914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र०अं०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-</p> <p>मौजा <u>श्रीधर बाढ़</u>.....थाना नं० <u>160</u>.....खाता नं० <u>129</u>.....</p> <p>प्लॉट नं० <u>44</u>.....रकबा <u>05</u>.....एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं०.....के पृष्ठ संख्या <u>2 व निमान</u> पर जमाबंदी रैयत <u>झारखण्ड सरकार</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाए।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>11.8.16</u>.....को उपस्थापित करे।</p>	<p align="right">  अंचल अधिकारी, तोपचौची <u>28-7-16</u> </p>

प्रतिवादी द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवादी द्वारा कोई भी राजस्व कागजात समर्पित नहीं किया गया है।
प्रतिवादी द्वारा मात्र उपस्थिति दर्ज करायी गई/अनुपस्थिति को अभिलेख में संलग्न है। लगान वर्ष.....तक भुगतान किया गया है।

सौजा- साधा/शाद थाना नं० 160 खाता नं० 129
प्लॉट नं० 44 रकबा 05.57 कुल 05.57

भूमि क्रमशः प्रतिवादी के नाम से दर्ज है। पंजी- II में प्रतिवादी के नाम पर सृजित जमाबंदी में जांचोपरांत निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं:-


1. जमाबंदी सृजित करने से संबंधित सक्षम प्राधिकार के आदेश का उल्लेख नहीं पाया गया।
2. लगान निर्धारण/जमींदार से प्राप्त संबंधी पट्टा/ सादा हुकुनामा आदि कागजात नहीं पाया गया।
3. बंदोबस्ती पट्टा भी नहीं पाया गया और न ही प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
4. प्रतिवादी ने प्रतिवेदित भूमि से संबंधित कोई भी कागजात न होने से इंकार किया है।


उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्णित जमाबंदी बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना ही सृजित कर दी गई है, जो अवैध है।

अतः सौजा- साधा/शाद थाना नं० 160 खाता नं० 129
प्लॉट नं० 44 रकबा 05.57 कुल.....धूर, कुल 05.57 धूर, भूमि
जो प्रतिवादी साधा/शाद/समार के नाम पर पंजी- II में दर्ज है, को बिहार (झारखण्ड)
भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (H) के तहत कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

तदनुसार अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित


अंचल अधिकारी
तोपचौची।


अंचल अधिकारी,
तोपचौची।

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- जय शंकर यमाट पिता जगपत यमाट

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मीजा थाना सं० खाता सं० प्लॉट सं० रकबा
श्रीधरबाई - 160 - 129 - 44 - 05

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या..... पृष्ठ सं०-श्रुतिपात्र पर कायम है -

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 1965-66

5. श्रुतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- आश्वय शंकर

6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :-

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती -

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी) श्रुतिपात्र

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या लगान रसीद संख्या रसीद निर्गत तिथि वसूली वर्ष

[Signature] [Signature]